

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० संख्या-485/2013 सावित्री देवी एवं अन्य बनाम बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं अन्य में दिनांक-01.09.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय एम०जे०एम० कॉलेज, कटिहार में शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकाया वेतन भूगतान हेतु अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० संख्या-485/2013 सावित्री देवी एवं अन्य बनाम बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं अन्य में दिनांक-01.09.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय एम०जे०एम० कॉलेज, कटिहार के भूगतान हेतु, मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष-0008-बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, विपत्र कोड-21-2202031020008, विषय शीर्ष-0008.31.04-सहायक अनुदान-वेतन मद में रू० 1,80,12,831/- (एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार आठ सौ इकतीस रुपये) मात्र व्यय हेतु राशि निम्न प्रकार प्रकार अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	0008.31.04-सहायक अनुदान-वेतन	1,73,42,03,799	1,80,12,831	1,75,22,16,630

तत्काल आवंटित राशि 1,80,12,831/- (एक करोड़ अस्सी लाख बारह हजार आठ सौ इकतीस रुपये) मात्र।

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के साथ विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य भरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।

5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
7. उपर्युक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-97 दिनांक-01.02.2018 के आलोक में आवंटित है।
8. राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।
9. उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र (फार्म-42 A पुनरीक्षित) में निर्धारित अवधि में महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को विभाग के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- २१०

पटना, दिनांक:- २१/५/१८

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक (उच्च शिक्षा)/कुल सचिव एवं वित्त पदाधिकारी, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 15 एवं कार्यवाहक सहायक-5, 15 तथा लेखापाल (दो प्रतियों में)/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव।

87